

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 20/03/21

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रूपये 1090.197 लाख (रूपये दस करोड़ नब्बे लाख उन्नीस हजार सात सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या— 63 / 12.02.2019; 06 / 24.04.2017 एवं 83 / 27.01.2017
(Online स्वीकृत्यादेश सं. 2097 / 12.02.2019; 451 / 02.05.2017 एवं 2289 / 09.02.2017)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	50—जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101—सतही जल/ 19— नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05—निर्माण/ 45— निर्माण कार्य विपत्र कोड— 50S470200101190545	1090.197

आवंटित राशि – रूपये दस करोड़ नब्बे लाख उन्नीस हजार सात सौ मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियगानुसार किया जाएगा।
- निर्गत आवंटन वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुपूरक आगणन में प्राप्त राशि के फलस्वरूप संशोधित बजट उपबंध राशि रु. 3380.00 लाख (रूपये तैतीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक—19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को समय सुधारने का उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :— 311

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक्क) ज्ञारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/पलामू/मेदिनीनगर/हुसैनाबाद/हजारीबाग/रामगढ़/गोड़डा/देवघर/गिरिडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।



(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :— 311

रॉची, दिनांक :— 20/03/21

प्रतिलिपि :— सचिव, योजना—सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांखिकी पदाधिकारी जल संसाधन (अभि.)/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर दृष्टिगत व्यय
लघु सतही जल,
उप शीर्ष-19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण
संशोधित चर्जर उपविष्ट (2020-21) – रुपये 3380.00 लाख (रुपये तीनीस करोड़ अस्ती लाख) मात्र
विपत्र कोड- 505470200101190545

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम			प्रशासनिक स्वीकृति			वर्ष 2020-21 में			(रुपये लाख रुपये में)		
				प्रसंग	राशि	Online प्रसंग	एकारणित राशि	मार्च 2020 तक व्यय	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	योजना पर आवंटन (10+13)	कुल आवंटन अवलोकन (10+13)	Online Allocation Access No.	अनुकूलित
1	लघु सिंचाई प्रमाणन, गढ़वा (GRHMMR001)	गढ़वा	गढ़वा	मेराल	कुसमाहा नाला पर चैकडैम निर्माण	43.073	36.337	17.919	18.662	0.083	18.745	36.664			
2				गेराल	तुलबुला नाला पर चैकडैम निर्माण	42.511	37.051	19.630	17.370	0.370	17.740	37.370			
3				गेराल	बेबरा नाला पर चैकडैम निर्माण	43.640	36.312	19.834	16.586	0.166	16.752	36.586			
4				मेराल	अमुआ नाला पर चैकडैम निर्माण	dt. 12.02.2019	2997	14.680	17.357	0.320	17.677	32.357	89728		
5				रंका	मितियाही नाला पर चैकडैम सं0-2 निर्माण	84.418	59.840	29.646	30.386	0.354	30.740	60.386			
6				रंका	मितियाही नाला पर चैकडैम सं0-3 निर्माण	97.955	73.661	38.613	35.366	0.387	35.753	74.366			
योग :-						349.669	275.260	140.322	135.727	1.080	137.407	277.729			
7	1	लघु सिंचाई प्रमाणन, गढ़वा (PLMMMR041)	गढ़वा	पांको	नटही नाला पर चैकडैम निर्माण	57.735	58.794	6.680	28.259	22.795	51.025	57.735			
8	2			पाटन	बंका नाला पर चैकडैम निर्माण	109.502	97.451	12.870	46.963	38.681	85.644	98.514			
9	3			सतबरखा	नारयण नाला पर चैकडैम निर्माण	36.115	37.292	4.495	21.518	10.102	31.620	36.115			
10	4			तहसी	चरमारिया नाला पर शुख्खलाबाद चैकडैम निर्माण	63/2018-19	102.948	101.948	11.835	59.456	14.891	74.347	86.182	89731	
11	5			तेस्तीगंज	ग्राम पीपहट में कुट्ट रहिया नाला पर चैकडैम सं0-1 निर्माण	dt. 12.02.2019	2097	62.954	62.012	7.425	37.243	17.798	55.041	62.466	
12	6			तेस्तीगंज	ग्राम कोटिलखा में कुट्ट रहिया नाला पर चैकडैम सं0-2 का निर्माण	64.527	63.773	7.750	39.723	15.610	55.333	63.083			
योग :-						433.781	421.270	51.055	233.162	119.878	353.040	404.095			
13	1	लघु सिंचाई प्रमाणन, हुसेनाबाद (PLMMMR044)	पलामू	पाण्डु	खुडा नाला पर चैकडैम का निर्माण	63/2018-19	56.179	43.120	0.000	22.560	21.010	43.570	43.570		
14	2				मेलवा नदी पर चैकडैम का निर्माण	एवं 644, dt. 22.07.2019 (शुद्धि पर)	2097	46.542	39.280	0.000	22.780	16.912	39.692	39.692	89733
योग :-						102.721	82.400	0.000	45.340	37.922	83.262	83.262			

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमी)(अशोक कुमार दास)
सचिव (आमी)(प्रशान्त कुमार)
सचिव

क्र. No.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकरारित राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वर्ष 2020-21 में			योजना पर आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अनुकूलता			
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान कुल आवंटन	तारीख	पूर्व का आवंटन					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
15	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (HZBMR001)	पदमा	केवटा अस्था नदी पर चैकड़ैम निर्माण	63/2018-19	90.036	2097	69.043	0.000	0.000	33.602	33.602	33.602		89735			
16	2			भंडरा बोगिया नदी पर एकल चैकड़ैम निर्माण	dt. 12.02.2019	65.159		57.362	6.650	0.000	37.137	37.137	43.787					
				योग :-		155.195		126.405	6.650	0.000	70.739	70.739	77.389					
17	1			लिखुगढ़	नानी नाला पर शूं चैकड़ैम निर्माण	134.358		117.414	0.000	76.934	40.284	117.218	117.218					
18	2			चुरचु	अंगो नाला पर चैकड़ैम निर्माण	59.959		45.606	0.000	33.411	12.147	45.558	45.558					
19	3			तुरंचु	तुआ नाला पर चैकड़ैम निर्माण	58.624		48.272	0.000	22.691	25.689	48.380	48.380					
20	4			हजारीबाग	टाटीझिरिया	44.512		37.164	0.000	25.038	11.967	37.005	37.005					
21	5			लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ (RGHMR012)	बिल्लुगढ़	जमुनिया नाला पर चैकड़ैम निर्माण	51.107		44.194	0.000	12.116	30.917	43.033	43.033				
22	6			लिखुगढ़	कुवरी नदी पर चैकड़ैम निर्माण	66.754		52.660	0.000	40.200	12.449	52.649	52.649					
23	7			पतरातु	सरना गढ़ा नाला पर चैकड़ैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2020		48.069	0.000	15.278	26.767	42.045	42.045		89737			
24	8			गोला	खटनाडा नाला पर शूं चैकड़ैम निर्माण	235.299		2098		0.000	111.970	103.972	215.942	215.942				
25	9			पतरातु	सियासुडी नाला पर चैकड़ैम निर्माण	85.646		75.179	0.000	38.417	36.249	74.666	74.666					
26	10			माण्डू	फुलसराई नाला पर चैकड़ैम निर्माण	44.758		38.163	0.000	18.893	14.306	33.199	33.199					
27	11			गोला	गुरुरङ्गा थूं चैकड़ैम निर्माण	179.308		153.346	0.000	53.420	91.123	144.543	144.543					
28	12			माण्डू	अगारियागढ़ा नाला पर चैकड़ैम निर्माण	57.741		42.276	0.000	19.086	24.486	43.572	43.572					
				योग :-		1,066.135		908.597	0.000	467.454	430.356	897.810	897.810					
29	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा (KDMMR01)	कोडरमा	सतगांव	बेदो नाला पर एकल चैकड़ैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019		60.009	2097	38.795	0.000	38.795	38.795	38.795	89738			
				योग :-		60.009		38.795	0.000	0.000	38.795	38.795	38.795	38.795				
30	1			जरीडीह	जगासुर नाला पर शूं चैकड़ैम निर्माण	201.979		18.002	43.330	25.986	111.599	137.585	180.915					
31	2			नागाडीह	ग्राम धवाटाड़ में कोदाबेड़ा चैकड़ैम निर्माण	52.045		45.374	0.000	28.869	17.148	46.017	46.017					
32	3	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो (BKRMIR001)	बोकारो	जरीडीह	डुड़ल (मालूम सोकरा) नदी पर चैकड़ैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019		61.935	2097	53.027	0.000	20.327	32.276	52.703	52.703	89739		
33	4			पेटवार	श्यामलता नाला पर चैकड़ैम सं-2 निर्माण	88.324		78.665	0.000	43.524	32.339	75.863	75.863					
34	5			गोमिया	नगुलवा जोरिया नुनमरिया में चैकड़ैम निर्माण	75.890		65.965	0.000	37.040	20.202	57.242	57.242					
35	6			कसमार	गोवई जोरिया (पाड़ी) में चैकड़ैम निर्माण	54.372		48.510	0.000	7.761	27.154	34.915	34.915					
				योग :-		534.545		471.543	43.230	163.507	240.818	404.325	404.325	447.655				

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमि.)

311
20/03/21

(अर्योक कुमार दास)
सम्मुक्त सचिव (आमि.)

(प्रशासन कुमार)
सचिव

